

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

पत्रांक: 1(43) राज.-6/16/77

जयपुर, दिनांक 18.09.2020

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 20 खण्ड (ख) का उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के राजस्थान केंद्र (बेच-2019) के निम्नलिखित परीवीक्षाधीन अधिकारियों को जिन्हें कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा क्रमांक F.3/2(3)Pers/A-1/2018 दिनांक 05.05.2020 द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में सहायक कलक्टर (प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थित किया गया है, को सहायक कलक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है:-

S.No	Name of Of Officer Trainees	Name of the district in which officer Traianees is posted
1.	Shri Kanishak Kataria	Bikaner
2.	Shri Rahul Jain	Sirohi
3.	Ms. Saloni Khemka	Jaipur
4.	Shri Rishav Mandal	Bharatpur
5.	Shri Girdhar	Jalore
6.	Ms. Dhaigude Snehal Nana	Udaipur
7.	Shri Lalit Goel	Jodhpur

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 18.09.2020 प्रकाशन हेतु।
11. सचिव राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग।
13. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल अजमेर।
14. रक्षित पत्रावली।

शारान उप सचिव